

**अनुदान संख्या 5 - रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग**  
**GRANT No. 5 - DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS**

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत-  
Saving -

(हजार रुपयों में)  
(In thousands of rupees)

<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	229,64,00		
			229,65,00	206,11,05
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-23,53,95
				23,51,84

<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-		3,50,00	2,17,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-1,33,00
				1,33,00

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं—
1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	570.00		
			..	..
पु.	R.	-570.00		..

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मू.	O.	20297.00		
पू.	S.	1.00	18666.99	18666.89
पु.	R.	-1631.01		-0.10

(I) ₹570.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" – "पेट्रो-रसायन उद्योग (अन्य व्यय) – पेट्रो रसायनों की नई स्कीम" के अंतर्गत एक मामले में – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2852" – "पेट्रो-रसायन उद्योग – अन्य व्यय – केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान" के अंतर्गत ₹1554.00 लाख की बचत (₹11788.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि आबंटन में देरी होने और सीआईपीईटी को मुंबई से नासिक स्थांतरित नहीं किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹394.32 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थी।

(I) Provision of ₹570.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "2552" – "Petro-Chemical Industries (Other Expenditure) - New Schemes of Petrochemicals" – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2852" – "Petro-Chemical Industries – Other Expenditure - Central Institute of Plastic Engineering & Technology" – saving of ₹1554.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11788.00 lakhs) was due to delay in allotment of land and non-shifting of CIPET from Mumbai to Nashik.

(III) Under one head saving of ₹394.32 lakhs occurred constituting 18 percent of the sanctioned provision.